

**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

**अधिसूचना**

संख्या- उ0सं0वि0-26/2003 विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में बेगूसराय, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- |     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| 1   | जिला समाहर्ता   | - | अध्यक्ष    |
| 2   | जिला आपूर्ति पदाधिकारी  | - | सदस्य सचिव |
| (क) | <b>जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि</b>                                      |   |            |
| 3.  | जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य                                    |   | सदस्य      |
| 4.  | जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य                               | - | सदस्य      |
| (ख) | <b>विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि</b>                         |   |            |
| 5.  | उप विकास आयुक्त   | - | सदस्य      |
| 6.  | जिला शल्य चिकित्सक  | - | सदस्य      |
| 7.  | जिला कल्याण पदाधिकारी   | - | सदस्य      |
| 8.  | जिला शिक्षा पदाधिकारी   | - | सदस्य      |
| 9.  | जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम   | - | सदस्य      |
| 10. | अध्यक्ष, जिला परिषद्  | - | सदस्य      |
| 11. | केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन  | - | सदस्य      |
| (ग) | <b>महिला प्रतिनिधि</b>  |   |            |
| 12. | श्रीमती सुधा देवी   | - | सदस्य      |
|     | पति-श्री शंकर राय,<br>पता- ग्राम- बहरबन्नी, तेघड़ा, जिला- बेगूसराय              |   |            |
| 13. | श्रीमती रीता सिंह,  | - | सदस्य      |
|     | पति- शंभु नाथ सिंह,<br>पता-ग्राम पंचायत- लाखो बेगूसराय, जिला- बेगूसराय।         |   |            |
| (घ) | <b>स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि</b>   |   |            |
| 14. | श्री दिलिप कुमार सिन्हा   | - | सदस्य      |
|     | पिता- श्री सत्यनारायण प्रसाद,<br>पता- स्टेशन रोड, वार्ड नं0-30, जिला- बेगूसराय। |   |            |
| 15. | श्री संजय कुमार सारंग,  | - | सदस्य      |
|     | पिता-महेन्द्र प्रसाद साह,<br>पता- विषहर टोला पनहांस, जिला- बेगूसराय।            |   |            |
| 16. | श्री अशोक ठाकुर,  | - | सदस्य      |
|     | पता-ग्राम +पो0- गौड़ा, तेघड़ा, जिला- बेगूसराय।                                  |   |            |

08

17. श्रीमती सिंधु देवी, — सदस्य  
पता—ग्राम— गंगरहो, ~~बखरी~~ <sup>बखरी</sup>, जिला— बेगूसराय ।
- (ड.) किसान / व्यापारी / उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री विनोद कुमार हिसारियां, — सदस्य  
पिता— स्व० शिवप्रसाद हिसारियां,  
पता— चंपा निकेतन, मारवाड़ी मोहल्ला,  
वार्ड नं०— 22, जिला— बेगूसराय
19. श्री नंद कुमार सिंह, — सदस्य  
पता—मोहनपुर बखरी, जिला— बेगूसराय ।
20. श्री रतन कुमार, — सदस्य  
पता—मोहनपुर बखरी, जिला— बेगूसराय ।
21. श्री प्रदीप राय — सदस्य  
पता—ग्राम— मुसहरी, पंचायत— गौड़ा,  
तेघड़ा, जिला— बेगूसराय ।
- (च) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री गोपाल कृष्ण गुप्ता उर्फ पंकज गुप्ता, — सदस्य  
पिता— स्व० बाल कृष्ण गुप्ता,  
कृष्णा कुटिर, मुंगेरीगंज, जिला— बेगूसराय ।
23. श्री दिनेश पाठक, — सदस्य  
पता— सकरपुरा, बखरी, जिला— बेगूसराय ।
24. श्री रूसतम बैठा, — सदस्य  
पता—मोहनपुर, बखरी, जिला— बेगूसराय ।
25. श्रीमती स्वर्णलता देवी, — सदस्य  
पति— सरोज राय,  
पता— नगर पंचायत तेघड़ा, वार्डनं०— 05,  
जिला— बेगूसराय ।

(2) शर्तः—

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा ।
2. जो माननीय सांसद / विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद / विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे ।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं ।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा ।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।



6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होग जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सेवक जैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-0 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष-3456 नागरीक पूर्ति योजना से होगा।

(3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश कुमारी) 7/15

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003

7067

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. प्रतिलिपि:- समहर्ता, बेगूसराय से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003

7067

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक

खाद्य, पटना/दिनांक 03/09/15

ज्ञापांक:- उ0सं0वि0-26/2003

7067

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 संलग्न)।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक